

Label Registration Procedure

For the label registration of Foreign Liquor capacitance wise per label fee is 28000 (Twenty eight thousands rupees only) for financial year 2017-18. which is -issued by The Excise commissioner's recomondations. There is some measuring points according to Point -20 mentioned in Uttar Pradesh botteling of foreign Liquor Rules 1969 and Gazett No-434/Alcohol/ Dehradun 19 April 2001, are as follows.

- 1.) Product type should be written on the bottle. Ie. 'Whiskey' word should be written on the whiskey bottle.
- 2.) Volume of Liquor should be written on the Label.
- 3.) Streingth should be written on the Label.
- 4.) 'Made in India' sentence should be written on the Label.
- 5.) Unit full Name & complete Address of distillery/bottling plant should be written on the Label.
- 6.) 'Consumption of liquor is injurious to Health' sentence in english & 'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।' in hindi should be written on the label.
- 7.) 'For Sale in Uttarakhand only' & 'Not for sale in XYZ' here XYZ refers to the state where excise duty is not paid by the manufacturer, should be written on the Label.
- 8.) 'MRP' word should be written on the Label.
- 9.) Sufficient space should be there for Batch Number.
- 10.) Barcode should be printed there in the label.
- 11.) FSSAI code should be printed there in the label.

लेबल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल रुपये २८००० (रुपये अठाइस हजार मात्र) (वित्तीय वर्ष २०१७-१८ हेतु) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा । जो की आयुक्त महोदय की अनुमति से किया जाता है। इसके अलावा कुछ बिंदु उत्तरप्रदेश बॉटलिंग ऑफ़ फॉरेन लिकर नियमावली १९६९ के प्रस्तर-२० तथा उत्तराखण्ड शासन के सरकारी गज़ट संख्या-४३४/अल्कोहल/देहरादून १९ अप्रैल २००१ के अनुसार निम्नवत हैं ।

- 1.) लेबिल पर मदिरा के प्रकार (उदहारण के लिए व्हिस्की) शब्द का उल्लेख होना अनिवार्य है ।
- 2.) लेबिल पर प्रत्याभूत मात्रा का उल्लेख होना अनिवार्य है ।
- 3.) लेबिल पर तीव्रता का उल्लेख होना अनिवार्य है ।
- 4.) लेबिल पर 'Made in India ' अंकित होना अनिवार्य है ।
- 5.) लेबिल पर उत्पादन/बॉटलिंग करने वाली इकाई का पूरा नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है ।
- 6.) लेबिल पर 'Consumption of liquor is injurious to health ' अंकित होना अनिवार्य है ।
- 7.) लेबिल पर 'for sale in uttarakhand only ' तथा 'Not for sale in XYZ ' , यहाँ XYZ से अभिप्राय ऐसे राज्य से है जहाँ के लिए उत्पादक ने एक्साइज ड्यूटी पेड नहीं की है , अंकित होना अनिवार्य है ।
- 8.) लेबिल पर 'MRP ' शब्द अंकित होना अनिवार्य है ।
- 9.) लेबिल पर बैच नंबर हेतु पर्याप्त स्थान होना अनिवार्य है ।
- 10.) लेबिल पर बार कोड मुद्रित होना अनिवार्य है ।

11.) लेबिल पर fssai code होना अनिवार्य है ।